तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/2034-डीबी

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

<u>निर्णय की तिथिः 21 मार्च, 2023</u>

रि.या.(सि) 3500/2023

भूतपूर्व आरक्षी / चालक राज सिंह .... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री ए के त्रिवेदी, श्री वैभा त्रिवेदी व श्री नवीन कुमार, अधिवक्तागण

बनाम

भारतीय संघ व अन्य .... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री मनीष मोहन, केंद्र सरकार स्थायी अधिवक्ता सह श्री हार्दिक बेदी, भारतीय संघ हेतु सरकारी अधिवक्ता

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

1. वर्तमान याचिका द्वारा याचिकाकर्ता निम्नलिखित अनुतोष की मांग कर रहा हैः

क) आक्षेपित आदेश दिनांकित 16.12.2022 को अन्यायपूर्ण, मनमाना, भेदभावपूर्ण तथा इस विषय पर पारित न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध मानते हुए इसे रद्द व अपास्त किया जाए;

ख) इस विषय पर पारित न्यायिक निर्णयों के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी प्रत्यर्थीगण को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के नियम-41 के अंतर्गत अनुकंपा भत्ते यानी पेंशन तथा उसके उसकी पदच्युति की तिथि अर्थात दिनांक 23.08.2003 से उपदान दिए जाने हेतु याचिकाकर्ता के दावे पर सहानुभूतिपूर्वक तथा मानवीय आधार पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाए और याचिकाकर्ता अपनी पेंशन और बकाया उपदान का हकदार हो सकता है;

ग) परमादेश की रिट या कोई अन्य रिट / निर्देश / आदेश जारी किया जाए जो मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में न्यायसंगत तथा उचित माना जाए;

घ) जुर्माना लगाया जाए।"

2. याचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान याचिका में की गई प्रार्थना 'बी', वर्तमान याचिका को एक अभ्यावेदन माना जाए।

3. तदनुसार, वर्तमान याचिका में की गई प्रार्थना 'बी' को ध्यान में रखते हुए, हम प्रत्यर्थी को वर्तमान याचिका को एक अभ्यावेदन के रूप में स्वीकृत करने तथा आज से आठ सप्ताह के भीतर उस पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश देते हुए वर्तमान याचिका का निपटान करते हैं।

4. इस प्रकार, याचिकाकर्ता को एक तर्कसंगत आदेश के साथ लिया गया निर्णय एक सप्ताह के भीतर प्रेषित किया जाए।

5. तदनुसार, वर्तमान याचिका का निपटान किया जाता है।

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायाधीश

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

21 मार्च, 2023
एस.शर्मा

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*